ई–पत्रावली संख्या– 121 SOCW3/40/2022-XVII-A-3

प्रेषक,

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
देहारादून।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022

विषय–प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA to SCSP) में स्वतः रोजगार योजना के संचालन सम्बन्धी दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक विकास हेतु अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में स्वतः रोजगार योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) में सम्मिलित करते हुए योजना का संचालन किये जाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11014/45/2020–SCD-II(SCA to SCSP) दिनांक 06.06.2022 के द्वारा निर्गत गाईड–लाईन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–I/64590/2022 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के क्रिन्यावयन हेतु समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों एवं इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में PM-AJAY के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

I. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह/एकल में अनुसूचित जाति के लाभार्थी ही अनुदान के लिए पात्र होंगे।

II. उक्त योजनान्तर्गत समूह/एकल व्यक्ति को जनपद स्तर पर कलस्टर के आधार पर वित्त पोषित किया जा सकता है। योजना अन्तर्गत एकल/समूह में लाभार्थी संख्या की कोई भी सीमा निर्धारित नही की गई है।

III. उक्त योजनान्तर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) में केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम एवं 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों हेतु बाध्यता होगी। ऋण योजना एवं कौशल विकास प्रशिक्षण योजना में आदर्श ग्राम एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की बाध्यता नहीं होगी एवं उक्त ऋण एवं प्रशिक्षण योजना में शहरी क्षेत्र के लाभार्थी भी पात्र होंगे।

IV. उक्त योजनान्तर्गत परियोजना का चयन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त जनपद स्तरीय चयन समिति में मुख्य विकास अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं ऋण योजना से सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।

क्रमशः.............2

Generated from eOffice by NAVIN, RO-SOCW-NAVIN, RO-SOCIAL WELFARE, Social Welfare Department on 14/12/2022 03:33 PM

v. जिला स्तरीय समिति द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार कार्य योजना का चयन कर भारत सरकार के पोर्टल https://pmajay.dosje.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। ताकि स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जा सके।

3. उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) की गाईड–लाईन एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–151/स0क0–2002–49(समाज कल्याण)/2002 दिनांक 25.02.2002 व शासनादेश संख्या–I/64590/2022 दिनांक 20.09.2022 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न–यथोक्त

Signed by L Fanai
Date: 09-12-2022 17:40:15

भवदीय,

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

ई–पत्रावली संख्या– SOCW3/40/2022-XVII-A-3, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून
2–मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
3–आयुक्त, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ ।
6–निदेशक, NIC, उत्तराखण्ड।
7–निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
8–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी।
9–समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–वित्त अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन।
11–गार्ड फाइल।

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

Generated from eOffice by NAVIN, RO-SOCW-NAVIN, RO-SOCIAL WELFARE, Social Welfare Department on 14/12/2022 03:33 PM

159/2022 ई–पत्रावली संख्या– SOCW3/40/2022-XVII-A-3

प्रेषक,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून, दिनांक सितम्बर, 2022

विषय–स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान सीमा में वृद्धि विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–151/स0क0–2002–49 (समाज कल्याण)/2002 दिनांक 25.02.2002 के द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के लिए अनुदान वितरण हेतु अनुदानित राशि की अधिकतम सीमा, योजना की अनावर्ती लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10,000/–जो भी कम हो निर्धारित की गई है।

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11014/45/2020–SCD-II (SCA to SCSP) दिनांक 06.06.2022 के अध्याय्–3 के प्रस्तर–2(a) Comprehensive Livelihood Projects के अन्तर्गत (ii) Grant For creations/Acquisition of assets for beneficiaries/households में अनुसूचित जाति के परिवारों को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत देय अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 50,000/– निर्धारित की गई है।

3. अतः भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित आदेशानुसार निर्धारित की गयी अनुदान राशि के क्रम में शासनादेश दिनांक 25.02.2002 को संशोधित करते हुए, अनुसूचित जाति के लाभर्थियों को मिलने वाली अनुदान सहायता को राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा दी जाने वाली अनुदान की अधिकतम सीमा योजना की अनावर्ती लागत का 50% अथवा अधिकतम रू0 50,000/–जो भी कम हो, तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. साथ ही उक्त अनुदान अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों/परिवारों को अनुमन्य होगा, जिन्हे ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं से विकास खण्ड द्वारा आच्छादित न किया गया हो। भारत सरकार की उक्त गाईड–लाईन के अध्याय्–3 के प्रस्तर–3 a के प्राविधानानुसार लाभार्थियों का चयन करते समय रू0 2.50 लाख वार्षिक आय वाले व्यक्ति/परिवार को वरीयता प्रदान की जायेगी। उक्त योजना के संचालन में गाईड–लाईन में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. शासनादेश संख्या–151/स0क0–2002–49(समाज कल्याण)/2002 दिनांक 25.02.2002 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त की अन्य शर्तें/ प्रतिबंध यथावत् बने रहेंगे।

6. यह आदेश वित्त अनु–03, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–I/63705/2022 दिनांक 15.09.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

Signed by L Fanai
Date: 20-09-2022 12:1(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

590/2022

ई–पत्रावली संख्या– SOCW3/40/2022-XVII-A-3, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून
2–मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
3–आयुक्त, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।
6–निदेशक, NIC, उत्तराखण्ड।
7–निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
8–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी।
9–समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–वित्त अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन।
11–गांई फाइल।

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।